



**विधायक घोषणा के विरोध ने खोइनिया  
विरोधियों के लिये संजीवनी का काम किया**

इंगरपुर। राजस्थान में राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा होते ही सबकी जबान पर कमोंबेश इसी तरह के भाव थे यह क्या हुआ। सभी बाहर से, राज्य से कोई नेता नहीं मिला। इस बार भी कार्यकर्ताओं की नहीं आलाकामन की सुनवाई है। बागड़ को मायासी हाथ लगा। इंगरपुर विधायक गणेश घोषणा का विरोध दिनेश खोइनिया के विरोधियों के लिये संजीवनी का काम किया। सोमवार को जब राज्यसभा उम्मीदवार बनने के लिए मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमाद तिवारी तीनों जयपुर पहुंचे तब अच्छी बात हो गई। प्रकारों में जब पूछा कि साहब आप को किसे बता नहीं रहा। रणदीप ने जब मुकुल वासनिक को खेल हुआ कैसे थे कोई बता नहीं रहा।

राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि पर्दे के पीछे हाथ कौन सा खेल हुआ है जहां से जाटपुर ने उम्मीदवार निकालकर राजस्थान की जनता के सामने दिखा दिया है। किसके किसके नाम चल रहे थे कहाँ कहाँ से नाम चल रहे थे और कौन-कौन आ गया अपने कह रहे हैं। कि काग्रेस आलाकामन ने घर में ही उम्मीदवार बाट लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राहुल गांधी को द्वारा प्रमोट तिवारी प्रियंका

## कांग्रेस की कलह - हाथ से निकल गई राज्यसभा सीट



हम नहीं तुम सही.... राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ दिनेश खोइनिया मुकुल वासनिक से गले मिलते हुए। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

गांधी के द्वारा और मुकुल वासनिक सोनिया राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस को आठ कोरड़ की आवादी वाले राजस्थान में कोई नहीं मिला।

जिस तरह से दिनेश खोइनिया को भेजा जा रहा था, ताराचंद भगोरा जा रहे थे, कभी रघुवीर मीणा जा रहे थे, कभी भंवर जिंद्र सिंह के लिए टीकाराम जूली जा रहे थे राफेक मडेपुर में कांग्रेस से लेकर लंबी लाइन थी यहां पर जो टिकट के लिए घूम रहे थे लेकिन आपस की लड़ाई में फायदा कोई और ले गया।

सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़े, सबके अपने अपने उम्मीदवार थे, कांग्रेस आलाकामन ने कहा कि ये सबसे बढ़िया लोकों हैं और उन्होंने अपने उम्मीदवार उत्तर दिये। अब राज्यसभा चुनाव एंड नहीं है एक शुरुआत है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच 2 साल पहले जो हुआ था उपरकी एक शुरुआत। आप मान कर बैठे मान कर चलिए यहां से एक शुरु होने जा रहा है कि कांग्रेस अभी राज्यसभा चुनाव लड़ाई नहीं है चुनाव तो शुरुआत है अपनी यह है कि राजस्थान की गदी पर कौन बैठेगा।

अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बिजली निगम के गौदाम के गौदाम के सिक्योरिटी गार्ड की गौदाम

इंगरपुर। जिले के सदर थाना क्षेत्र में इंगरपुर-दोवड़ा मार्ग पर आरटीओ ऑफिस के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बृद्ध तिजवड़ बिजली निगम गोदाम का सिक्योरिटी गार्ड कल रात के समय इटी के सनसनी फेल गई। इंगरपुर जिले के सदर थानाधिकारी हुजारीलाल मीणा ने बताया की नाथू (58) पुत्र पेमा रोत निवासी मांडवा खापड़ा बिजली निगम के तीव्रवड स्थित गोदाम का सिक्योरिटी गार्ड है। कल रविवार रात 8 बजे से उसकी इटूटी थी। इसले वह साढ़े 7 बजे घर से इटूटी के लिए निकल गया। अच्छी बात है कि इटूटी पर नहीं पहुंचा। लोकिन वह के लिए निकल गया। अच्छी बात है कि कांग्रेस आलाकामन ने घर में ही उम्मीदवार बाट लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राहुल गांधी को द्वारा प्रमोट तिवारी प्रियंका

रात को घर से इटूटी के लिए निकला था, सुबह मिली लाश

हुजारीलाल मीणा ने बताया की नाथू पुत्र पेमा रोत निवासी मांडवा खापड़ा बिजली निगम के सिक्योरिटी गार्ड की गौदाम

## काम दिया मैदान समतलीकरण, ठेकेदार ने बना दी खदान

पुनर्वास कालोनी गर्ल्स स्कूल से क्वार्ट्ज पत्थर निकाले, ब्लास्टिंग भी की



सागवाड़ा। शहर के पुनर्वास कालोनी स्कूल में से अवैध रूप से ब्लास्ट पत्थर निकालने का मामला सामने आया है। पुनर्वास कालोनी के बीच ब्लाक स्थित सीवीईओ कार्यालय के ठीक पास स्थित गर्ल्स स्कूल में खुदाद कर ब्लास्ट जप्त्थर निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल ने मैदान समतलीकरण के लिए प्रस्ताव लेकर ठेकेदार को काम सांपूर्ण कराया था। सागवाड़ा थाना अंतर्गत पुनर्वास कालोनी बीच ब्लाक में राजकीय कन्न्या विद्यालय के मैदान में प्रथमांक वर्षावारी से जब इस विषय में पूछा गया उन्होंने बताया कि मैदान को मुआयना के लिए निकाले गए हैं। उन्होंने बताया जा रहा है कि स्कूल ने मैदान समतलीकरण के लिए प्रस्ताव लेकर ठेकेदार को काम सांपूर्ण कराया था। सागवाड़ा थाना अंतर्गत पुनर्वास कालोनी बीच ब्लाक में राजकीय कन्न्या विद्यालय के प्रथमांक वर्षावारी के मैदान में समतलीकरण के नाम पर 2 माह से सफेद पत्थर निकालने का धंधा चलाया जा रहा है। उन्होंने भी इस तरह की आवासीय कॉलोनी के अंदर



ब्लास्टिंग के लिए लगभग 10 से 15 फीट गहरा खाई बनाकर लगभग 5 से 8 ट्रक भरकर पत्थर यहां से निकाले गए हैं। राजकीय कन्न्या विद्यालय के प्रथमांक वर्षावारी के मैदान में समतलीकरण के नाम पर 2 माह से सफेद पत्थर निकालने का धंधा चलाया जा रहा है। उन्होंने भी इस तरह की

जानकारी मिली तो काम रुकवा दिया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार डॉ. मयूर शर्मा ने मौके पर पटवारी विनय पूर्जीत को मानकुमार मुआयना के लिए भेजा। थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया जाता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर जाच रिपोर्ट खनन विभाग को सौंपी

गई है। शहर के मध्य चल रहे इस खनन से और ब्लास्टिंग से पास में शिक्षा विभाग के सरकारी भवन में दरांगे आ

चुकी हैं और आवासीय कॉलोनी होने की बजह से असपास के लोग ब्लास्टिंग से परेशान हैं।

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

एक लाख 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, इंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

महिला का अपहरण क